

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

31.03.2023

क.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केन्द्र पोषित योजनाएं												
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (केन्द्रांश)	4000.00	3676.00	1928.32	9604.32	3115.68	3676.00	1928.32	8720.00	3115.68	3676.00	1928.32	8720.00
	—, —, — राज्यांश	450.00	466.49	359.85	1276.34	346.19	361.50	173.83	881.51	346.19	361.50	173.83	881.51
	योग NRLM	4450.00	4142.49	2288.17	10880.66	3461.87	4037.50	2102.15	9601.51	3461.87	4037.50	2102.15	9601.51
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (केन्द्रांश) (नई मांग से स्वीकृत)	104.44	36.54	33.06	174.04					0.00	0.00	0.00	0.00
	—, —, — राज्यांश	11.61	4.06	3.67	19.34					0.00	0.00	0.00	0.00
	योग MKSP	116.05	40.60	36.73	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (नई मांग से स्वीकृत)	345.18			345.18	94.95	0.00	0.00	94.95	94.95	0.00	0.00	94.95
	—, —, — राज्यांश	38.35			38.35	10.55			10.55	10.55			10.55
	योग SVEP	383.53	0.00	0.00	383.53	105.50	0.00	0.00	105.50	105.50	0.00	0.00	105.50
4	स्वयं सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बि बनाने हेतु प्रशिक्षण (नई मांग से स्वीकृत)	285.56			285.56	248.65			248.65	248.65			248.65
	—, —, — राज्यांश	31.00			31.00	0.00			0.00				0.00
	योग	316.56			316.56	248.65	0.00	0.00	248.65	248.65	0.00	0.00	248.65
	महायोग	5266.14	4183.09	2324.90	11774.13	3816.02	4037.50	2102.15	9955.66	3816.02	4037.50	2102.15	9955.66
5	पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (केन्द्रांश)	8300.00	104.40	75.60	8480.00	21.93	12.72	9.21	43.86	21.93	12.72	9.21	43.86
	गत वर्ष में अवमुक्त राज्य आकस्तिमकता निधि से आहरित धनराशि का समायोजन					6761.02			6761.02	6761.02			6761.02
	—, —, —, — राज्यांश	1000.00	765.66	101.06	1866.72	7.26	1.41	1.02	9.69	7.26	1.41	1.02	9.69
	गत वर्ष में अवमुक्त राज्य आकस्तिमकता निधि से आहरित धनराशि का समायोजन					916.97			916.97	916.97			916.97
	योग DDUGKY	9300.00	870.06	176.66	10346.72	7707.18	14.13	10.23	7731.54	7707.18	14.13	10.23	7731.54
6	डी०आर०डी०ए०प्रशासनिक मद	900.00			900.00					0.00	0.00	0.00	0.00
7	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्रांश)	7092.14	12934.45	1889.20	21915.78	5245.91	6554.22	1008.34	12808.48	5245.91	6554.22	1008.34	12808.48
	—, —, —, — राज्यांश	746.47	1536.64	238.44	2521.54	582.88	728.25	112.04	1423.16	582.88	728.25	112.04	1423.16
	योग PMAY-G	7838.60	14471.08	2127.63	24437.31	5828.79	7282.47	1120.38	14231.64	5828.79	7282.47	1120.38	14231.64
8	एन.आर.ई.जी.ए. (केन्द्रांश)	32587.74	7206.03	1690.07	41483.85	31594.79	7206.03	1517.06	40317.88	31594.79	7206.03	1517.06	40317.88

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
	एन.आर.ई.जी.ए. (राज्यांश)	10844.67	2402.01	563.35	13810.04	9734.47	2402.01	505.69	12642.16	9734.47	2402.01	505.69	12642.16
	योग NREGA	43432.42	9608.04	2253.43	55293.89	41329.25	9608.04	2022.75	52960.04	41329.25	9608.04	2022.75	52960.04
9	उत्तराखण्ड समाजिक अंकक्षण, जवाबदेही एवं परिदर्शिता अभिकरण (नई मांग से स्वीकृत)	1084.01			1084.01	80.50			80.50	80.50			80.50
10	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अन्तर्गत चयनित कलस्टर्स में विकास (केन्द्रांश)	2400.00			2400.00	1036.60	0.00	0.00	1036.60	1036.60	0.00	0.00	1036.60
	---,,--- (राज्यांश)	1000.00	0.00	0.00	1000.00	179.83	0.00	0.00	179.83	179.83	0.00	0.00	179.83
	योग RURBAN	3400.00	0.00	0.00	3400.00	1216.43	0.00	0.00	1216.43	1216.43	0.00	0.00	1216.43
11	राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना(100%के.स.)	0.01		0.01	0.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत प्रोग्राम फंड की धनराशि (90 प्रति.के.पो.) (केन्द्रांश)	180000.00	0.01	0.01	180000.02	124825.00	0.00	0.00	124825.00	124825.00	0.00	0.00	124825.00
	----,,---- राज्यांश	20000.00			20000.00	14008.00			14008.00	14008.00	0.00	0.00	14008.00
	योग PMGSY	200000.00	0.01	0.01	200000.02	138833.00	0.00	0.00	138833.00	138833.00	0.00	0.00	138833.00
13	यू0आर0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं हेतु	0.01			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्रांश)	4000.00			4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	---,,--- राज्यांश	478.70			478.70				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग BADP	4478.70	0.00	0.00	4478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना (केन्द्रांश) (80 प्रतिशत)	0.01			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	----,,---- राज्यांश (20 प्रतिशत)	0.01			0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग उ.ग्रा.वि.संस्थान(आ०/अना० ऋ०)	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान (केन्द्रांश)	0.01			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	----,,----राज्यांश	20.00			20.00	2.25			2.25	2.25	0.00	0.00	2.25
	योग UIRD	20.01	0.00	0.00	20.01	2.25	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	2.25
17	विशेष केन्द्रीय सहायता एस.पी.ए.) के अन्तर्गत विकास खण्डों के कार्यालय भवन निर्माण				0.00	1734.00	0.00	0.00	1734.00	1734.00	0.00	0.00	1734.00
	योग केन्द्र पोषित योजनाएं	275719.92	29132.29	6882.64	311734.85	200547.41	20942.14	5255.51	226745.07	200547.41	20942.14	5255.51	226745.07
	राज्य पोषित योजनाएं												
1	दीनदयाल उत्तराखण्ड आवासीय योजना	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	40.00			40.00	40.00			40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	400.00			400.00	66.14			66.14	66.14	0.00	0.00	66.14
4	राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई	0.01			0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
5	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान	1400.8650	2000.00	492.87	3893.74	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	40.00			40.00	40.00			40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान	45000.00	762.28	160.48	45922.76	8422.0500			8422.0500	8422.0500	0.00	0.00	8422.0500
8	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत	4000.00	1297.08	273.08	5570.16	4000.00	1297.08	273.08	5570.16	4000.00	1297.08	273.08	5570.16
9	विधायक निधि	25968.25	6407.75	1349.00	33725.00	20328.00	5016.00	1056.00	26400.00	20328.00	5016.00	1056.00	26400.00
	गत वर्ष में अवमुक्त राज्य आकस्तिमकता निधि से आहरित धनराशि का समायोजन					5467.00	1349.00	284.00	7100.00	5467.00	1349.00	284.00	7100.00
10	मेरा गांव मेरी सड़क	1299.1350	400.00	255.69	1954.83	1294.9260	309.1890	255.6880	1859.8030	1294.93	309.19	255.69	1859.80
11	उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	500.00			500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	40.00			40.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	700.00			700.00	700.00			700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
14	आयुक्त,ग्राम्य विकास पौड़ी के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	0.01			0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पी.एम.जी.एस.वाई के अर्न्तगत सेट्टेज चार्ज,यएस.क्यू. सी.सी. तथा पी.एम.सी. का भुगतान	3900.00			3900.00	3900.00			3900.00	3900.00	0.00	0.00	3900.00
16	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर(आर.बी.आई.)	1000.00			1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00
17	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए.डी. पी)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00
18	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि	1500.00			1500.00	2545.546			2545.546	2545.546	0.00	0.00	2545.546
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	2500.00			2500.00	2500.00			2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
20	ग्राम विकास महायोजना (नई योजना)	500.00			500.00				0.00				0.00
21	एसएसजी उत्पादों का विपणन	200.00			200.00				0.00				0.00
	योग राज्य पोषित योजनाएं	90988.28	10867.12	2531.13	104386.53	52303.66	7971.27	1868.77	62143.70	52303.66	7971.27	1868.77	62143.70
	वाह्य सहायतित योजनाएं												
1	आईफ़ैड वाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)	5000.00			5000.00	4817.00			4817.00	4817.00	0.00	0.00	4817.00

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
	गत वर्ष में अवमुक्त राज्य आकस्तिमकता निधि से आहरित धनराशि का समायोजन					183.00			183.00	183.00			183.00
2	आईफ़ेड वाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)-पूँजीगत	0.01			0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग वाह्य सहायतित योजनाएं	5000.01	0.00	0.00	5000.01	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	सम्पूर्ण योग आयोजनागत	371708.21	39999.41	9413.77	421121.39	257851.08	28913.41	7124.28	293888.77	257851.08	28913.41	7124.28	293888.77
	अधिष्ठान मद												
1	ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	512.50			512.50	512.50	0.00	0.00	512.50	512.50	0.00	0.00	512.50
2	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)	1057.73			1057.73	1057.73			1057.73	1057.73	0.00	0.00	1057.73
3	ग्राम्य विकास संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मिकों का वेतन	100.00			100.00	89.06			89.06	89.06	0.00	0.00	89.06
4	ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.00			50.00	50.00			50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5	अनुरक्षण	50.00			50.00	50.00			50.00	50.00			50.00
6	जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान	16978.76			16978.76	16978.76			16978.76	16978.76	0.00	0.00	16978.76
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान	8624.90			8624.90	8624.90			8624.90	8624.90	0.00	0.00	8624.90
8	गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	1565.93			1565.93	1565.93			1565.93	1565.93	0.00	0.00	1565.93
9	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	160.50			160.50	160.50			160.50	160.50	0.00	0.00	160.50
10	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्ीपना	45.14			45.14	45.14			45.14	41.00	0.00	0.00	41.00
11	डीआरडीए प्रकोष्ठ वेतन भत्ते आदि	47.46			47.46	47.46			47.46	47.46	0.00	0.00	47.46
12	राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रकोष्ठ	76.35			76.35	76.35			76.35	72.25	0.00	0.00	72.25
	योग अधिष्ठान मद	29269.27	0.00	0.00	29269.27	29258.33	0.00	0.00	29258.33	29250.09	0.00	0.00	29250.09
	सम्पूर्ण योग	400977.48	39999.41	9413.77	450390.66	287109.41	28913.41	7124.28	323147.10	287101.17	28913.41	7124.28	323138.86

नोट:- शासन के ई-फाइलिंग पत्र संख्या 1/62404/2022 दिनांक 13 सितम्बर 2022 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनुदान सं० 19 में ₹0 2907.86490 ला0, अनुदान सं० 30 में ₹0 753.46030 तथा अनु० सं० 31 के अन्तर्गत ₹0 110.01480 कुल ₹0 3771.34 लाख तथा राज्यांश हेतु अनुदान सं० 19 में ₹0 628.91497 ला0, अनु० सं० 30 में ₹0 251.35343 लाख तथा अनु० सं० 31 में ₹0 36.67493 लाख, कुल ₹0 916.94333 लाख इस प्रकार कुल ₹0 4688.28333 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु अनु० सं० 19, 30 एवं 31 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुर्नविनियोग से स्वीकृत किया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से कम करते हुए नरेगा के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में उक्तानुसार जोड़ा गया है।

2:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में ₹0 12679.88 ला0, अनु० सं० 30 में ₹0 315.55 लाख तथा अनु० सं० 31 में ₹0 655.90 लाख, कुल ₹0 13651.33 लाख केन्द्रांश तथा अनु० सं० 19 में ₹0 4208.72 ला0, अनु० सं० 30 में ₹0 1038.52 लाख तथा अनु० सं० 31 में ₹0 218.63 लाख, कुल ₹0 5465.87 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 19117.20 ला0 प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया। जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

3:- उत्तराखण्ड सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारिदर्शिता अभिकरण हेतु ₹0 1084.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

4:- पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत सेटेल चार्ज, एस.क्यू.सी.सी. तथा पी.एम.सी. का भुगतान मद में ₹0 1500.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

5:- पी.एम.जी.एस.वाई आधिव्य व्यय मद (पूँजीगत) में ₹0 35000.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

क.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग

6-ग्राम विकास महायोजना के नाम से नई योजना संचालित की गयी है जिस हेतु रू० 500.00 लाख प्रथम अनुपूरक में नई मांग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

7-एसएसजी उत्पादों का विपणन एवं ब्रांडिंग के नाम से नई योजना संचालित की गयी है जिस हेतु रू० 200.00 लाख प्रथम अनुपूरक में नई मांग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

8-इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग हेतु प्रथम अनुपूरक में कुल रू० 57401.20 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है।

9-विधायक निधि योजनान्तर्गत गत वर्ष में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि का समायोजन इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे आवंटित धनराशि में अलग से दर्शाया गया है।

10-शा० के पत्र संख्या 1/84380/2022 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 से अनुदान सं० 19 के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई आधिक्य व्यय में रू० 8000.00 ला० का पुनर्विनियोग अनुदान सं० 19 के पीएमजीएसवाई भूमि अधिग्रहण/एनपीवी भुगतान से किया गया जिसे आय-व्ययक में एनपीवी बजट प्राविधान से कम कर आधिक्य मद में जोड़ा गया है।

11-शा० के पत्र संख्या 1/90799/2023 दिनांक 12 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनुदान सं० 30 में रू० 469.2792 ला०, इसी योजना के राज्यांश हेतु अनु० 30 में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग किया गया जिसे आय-व्ययक में केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 में बजट प्राविधान में रू० 469.2792 लाख जोड़ा गया है तथा अनु० सं० 30 में राज्यांश में रू० 469.2792 लाख घटा दिया गया है।

12-शा० के पत्र संख्या 1/90796/2023 दिनांक 12 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 31 में रू० 62.21 ला०, इसी योजना के राज्यांश हेतु अनु० 31 में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग किया गया जिसे आय-व्ययक में अनु० सं० 31 में केन्द्रांश हेतु बजट प्राविधान में रू० 62.21 लाख जोड़ा गया है तथा राज्यांश में अनु० सं० 31 में रू० 62.21 लाख घटा दिया गया है।

13-शा० के पत्र संख्या 1/94608/2023 दिनांक 30 जनवरी 2023 से डीडीयूजीकेवाई योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु अनु० सं० 19 के अन्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 7677.9884 ला०, विधायक निधि योजनान्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि रू० 7100.00 लाख तथा आईफैंड सहायित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 183.00 लाख का समायोजन इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे अलग से दर्शाया गया है।

14-शा० के पत्र संख्या 1/108338/2023 दिनांक 22 मार्च 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 के अन्तर्गत रू० 1004.2868 ला० प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं० 30 से तथा राज्यांश हेतु अनु० सं० 30 के अन्तर्गत रू० 27.142 ला० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत सम्भावित बचत धनराशि से पुनर्विनियोग किया गया जिसे आय-व्ययक में नरेगा योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 में प्राविधानित धनराशि तथा अनु० सं० 30 में राज्यांश हेतु डीडीयूजीकेवाई के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से घटा दिया गया है।

15-शा० के पत्र संख्या 1/108880/2023 दिनांक 23 मार्च 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 के अन्तर्गत रू० 176.00 ला० तथा अनुदान सं० 31 के अन्तर्गत रू० 366.11 लाख, कुल रू० 542.11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं० 30 तथा 31 के अन्तर्गत सम्भावित बचत धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में एनआरएल योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 एवं 31 में प्राविधानित धनराशि से घटा दिया गया है।

16-शा० के पत्र संख्या 1/107518/2023 दिनांक 28 मार्च 2023 से मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 599.135 लाख तथा अनुदान सं० 31 के अन्तर्गत रू० 7.13 ला I, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण/एनपीवी भुगतान मद के अनुदान सां० 19 एवं 31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत आय-व्ययक के अनु० सं० 19 एवं 31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण/एनपीवी भुगतान मद के अनु० सं० 19 एवं 31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से घटाया गया है।

14-शा० के पत्र संख्या 1/111720/2023 दिनांक 31 मार्च 2023 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 के अन्तर्गत रू० 504.5868 ला० प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं० 30 से तथा राज्यांश हेतु अनु० सं० 30 के अन्तर्गत रू० 168.1956 ला० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत सम्भावित बचत धनराशि से पुनर्विनियोग किया गया जिसे आय-व्ययक में नरेगा योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में जोड़ा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 30 में प्राविधानित धनराशि तथा अनु० सं० 30 में राज्यांश हेतु डीडीयूजीकेवाई के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से घटा दिया गया है।

15-शा० के पत्र संख्या 1/109762/2023 दिनांक 25 मार्च 2023 से राज्य डीआरडीए प्रकोष्ठ के मानक मद-27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के अन्तर्गत बचत धनराशि से रू० 1.00 लाख मानक मद-01-वेतन में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी।

16-शा० के पत्र संख्या 1/109677/2023 दिनांक 24 मार्च 2023 से जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-04-यात्रा भत्ता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से रू० 10.00 लाख मानक मद-08-पारिश्रमिक मद में तथा 09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रू० 2.00 ला०, कुल रू० 12.00 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी।

17-मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत निदेशालय के पत्र संख्या 3403/ दिनांक 29.3.2023 से आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद चम्पावत द्वारा सा० एवं अनु० जा० हेतु आवंटित धनराशि क्रमशः रू० 53.65 ला० एवं 15.81 ला०, कुल रू० 89.46 लाख तथा जनपद हरिद्वार को सा० एवं अनु० जा० हेतु आवंटित धनराशि क्रमशः रू० 168.325 ला० एवं रू० 38.36 ला०, कुल रू० 206.685 लाख कोषागार से पास न होने के कारण समर्पित हो गयी।

18-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 1/11345/2023 दिनांक 29.03.2023 से आवंटित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश हेतु अनु० सं० 31 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू० 28.002 लाख 31 मार्च 2023 को आरबीआई से बिल फेल होने के कारण धनराशि समर्पित हो गयी।